दैनिक सवेरा टाइम्स
अंधेरे से उजाले की ओर...

ई.एस.आईसी ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज व्यापक बनाने के लिए स्प्री 2025 शुरू की : हरबंस

सवेरा न्यूज/ विनोद , पठानकोट : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आईसी) ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक बनाने के लिए स्प्री 2025 की शुरूआत की है, जो 1 जुलाई से 31 दिसम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगी। यह बात ई.एस.आईसी शाखा प्रबधंक हरबंस सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों जिनमे संविदा और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल है को निरीक्षण या पिछले बकाए कि मांग का सामना किए बिना नामांकन का एक बार का अवसर प्रदान करेंगी। नियोक्ता अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ई.एस.आई.सी पोर्टल श्रम सुविधा और एम सी ए पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा। पंजीकरण से पहले अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पूर्व-पंजीकरण अवधि के दौरान कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड कि मांग नहीं की जाएगी। यह योजना पूर्वव्यापी दंड के डर को दूर करके और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर स्वछिक अनुपलना को प्रोत्साहित करती है। स्प्री से पहले, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पंजीकरण न करवाने पर कानूनी कारवाई हो सकती थी और पिछली तिथि से बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। स्प्री 2025 इन बाधाओ को दूर करता है जिसका उद्देश्य छूटे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को ईएसआई के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर पूर्वव्यापी दैदारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करके यह योजना न केवल नियोक्ताओ को अपने कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है बल्कि यह भी सुनिशित कारी है कि अधिक से अधिक श्रमिक, विशेष रूप से संविदा क्षेत्रों में कम करने वाले ईएसआई अधिनियम के तहत आवश्यक स्वास्थय और सामाजिक लाभों तक पहुंच प्राप्त करे।

ईएसआइसी ने नई योजना शुरू की

संवाद सहयोगी, जागरण • दीनानगर : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक बनाने के लिए एसपीआरईई 2025 की शुरुआत की है। ईएसआईसी उप-क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर के संयुक्त निर्देशक सुनील कुमार यादव ने बताया कि यह योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को निरीक्षण या पिछले बकाए कि मांग का सामना किए बिना नामांकन का एक बार का अवसर प्रदान करेगी। नियोक्ता अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ईएसआइसी पोर्टल श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण से पहले अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा। पूर्व-पंजीकरण अवधि के दौरान पिछले रिकार्ड कि मांग नहीं की जाएगी। यह योजना पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर स्वैच्छिक अनुपालना को प्रोत्साहित करती है।

अनरजिस्टर्ड कंपनियों को ईएसआई ने दिया रजिस्टर्ड होने का मौका : सुनील यादव

सवेरा न्यूज /अशोक अनुज

जालंधर, 17 जुलाई : ईएसआई विभाग ने 1 जुलाई से उद्योगपतियों के लिए एक विशेष योजना चलाई है जिसके तहत जो कंपनियां ईएसआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं वह 31 दिसंबर 2025 तक खुद को ईएसआई के साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इससे जिस तिथि से कंपनी ईएसआई के साथ रजिस्टर्ड होगी उससे पिछली तारीखों के बारे में कंपनियों से कोई भी हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा। इस बात की जानकारी ईएसआई विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार यादव ने दी। वह उद्योग नगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन गदईपुर के प्रधान तेजिंदर सिंह भसीन, वरिष्ठ उपप्रधान नितिन कपूर (मैनेजिंग डायरैक्टर ए.वी.एन मैनुफैक्चरिंग कंपनी) व अन्य उद्योगपतियों के साथ बातचीत करके विभाग की योजना के

ईएसआई विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार यादव उद्योगपतियों को विभाग की स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए, बैठक में हैं उद्योग नगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रधान तेजिंदर सिंह भसीन, वरिष्ठ उपप्रधान नितिन कपूर व अन्य।

बारे में जानकारी दे रहे थे। इस मौके पर ईएसआई के सहायक निदेशक कपिल कुमार, सहायक निदेशक दीपक कुमार, ईएसआई के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जीएस रंधावा आदि मौजूद थे। सुनील कुमार यादव ने कहा कि जो कंपनियां ईएसआई के साथ पहले से ही रजिस्टर्ड हैं अगर उन्होंने अपने कर्मचारियों को अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाया है वह उन कर्मचारियों को भी विभाग के साथ रजिस्टर्ड करें। उनसे भी पिछली तारीखों के बारे में

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने उद्योग नगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को नई योजना की जानकारी दी

कारोबारी पंजीकरण करवाएं, 31 दिसंबर तक आवेदन करने पर बीते वर्षों का हिसाब नहीं लेगा ईएसआईसी

भास्कर न्यूज | जालंधर

जालंधर में जिन इंडस्ट्री संचालकों ने खुद को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में पंजीकरण कराया है मगर कई मुलाजिम बीमा निगम के साथ नहीं जोड़े हैं तो वह नई सुविधा का लाभ ले सके हैं।

राज्य बीमा निगम के अफसरों ने वीरवार को उद्योग नगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को नई योजना की जानकारी है। उक्त बीमा निगम ने असंगठित और ठेका कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए एसपीआरईई नामक योजना चालू की है।

योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू है। ईएसआईसी के जॉइंट डायरेक्टर सुनील यादव ने एसोसिएशन के मेंबर्स को नई स्कीम की जानकारी दी है। उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर कपिल कुमार और दीपक कुमार, विभाग के सामाजिक सुरक्षा ऑफिसर जीएस रंधावा भी थे।

ईएसआईसी के जॉइंट डायरेक्टर सुनील यादव मीटिंग में नई स्कीम की जानकारी देते हुए। निगम अफसर व एसोसिएशन के मेंबर शामिल हैं।

कारोबारी प्रतिष्ठान ईएसआईसी में पंजीकृत नहीं कराते

योजना का मकसद आज भी बड़ी संख्या में कारोबारी प्रतिष्ठान खुद को ईएसआईसी में पंजीकृत नहीं कराते हैं। जिससे उनके मुलाजिम बीमा के लाभ से वंचित हो जाते हैं। नई योजना के तहत असंगठित, ठेका और अस्थायी कर्मचारियों को बिना किसी पिछली देनदारी या जांच के रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। इस योजना का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा नियोक्ता और कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत पंजीकृत हों और उन्हें स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।

उद्योग नगर मेन्यु. एसोसिएशन के प्रधान तेजिंदर सिंह भसीन ने कहा कि सरकारी की नई योजना के बारे में सभी मेंबर्स को जागृत करेंगे।

ये सामाजिक-आर्थिक तरक्की में महत्वपूर्ण जानकारी है। इंडस्ट्री संगठन के इस डेलीगेशन में मेंबर्स एवं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नितिन कपूर शामिल रहे।

सबसे बड़ा लाभ... पिछली अवधि के लिए नहीं देनी होगी कोई देनदारी

बीते वक्त में पंजीकरण नहीं कराया था, इसका कोई हिसाब विभाग नहीं मांगेगा। पिछली अवधि के लिए कोई देनदारी नहीं देनी होगी। योजना के तहत रजिस्ट्रेशन से पहले की अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, उस अवधि के लिए कोई जांच या बकाया की मांग भी नहीं की जाएगी। इससे नियोक्ताओं को पुराने रिकॉर्ड को लेकर डर नहीं रहेगा और वे स्वेच्छा से पंजीकरण कर सकेंगे।

पहले होती थी कानूनी कार्रवाई

अभी तक अगर कोई नियोक्ता तय समय में पंजीकरण नहीं कराता था, तो उस पर कानूनी कार्रवाई और पिछली देनदारियों की मांग की जाती थी। इस वजह से कई संस्थान और कर्मचारी ईएसआईसी के दायरे से बाहर रह जाते थे।

समावेशी सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

सरकार की सामाजिक सुरक्षा को सभी तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम पहल है। इससे खासकर ठेका और अस्थायी कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत स्वास्थ्य और अन्य लाभ मिल सकेंगे।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा रजिस्ट्रेशन... नियोक्ता अपने संस्थान और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और एमसीए पोर्टल के जरिए ऑनलाइन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की वैधता उसी तारीख से मानी जाएगी, जो नियोक्ता द्वारा घोषित की जाएगी।

तरसेम सिंह ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

पुलिस कर्मियों की शिकायत पर जंडियाला गुरु थाने की पुलिस ने बल कलां गांव निवासी करणबीर सिंह, जासमीन सिंह, अमृतपाल सिंह, अर्शदीप सिंह, जोगा सिंह, भूपिंदर सिंह, आकाशदीप सिंह,

दी, पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया। लेकिन आरोपितों पुलिस पार्टी पर ईंट पत्थर और सोडे की बोतलों से हमला कर दिया।

पुलिस कर्मियों ने किसी तरह अपना बचाव किया और कंट्रोल रूम पर जानकारी दी। लेकिन जब तक नफरी वहां पहुंच पाती आरोपित वहां से फरार हो गए।

गुरप्रताप सिंह ने बताया कि वह कारगिल की लड़ाई के दौरान गोलियां लगने से घायल हुआ था। रिटायर होने के बाद वह खेतीबाड़ी में जुट गया। गुरप्रताप सिंह ने अमरकोट स्थित बैंक में आठ लाख रुपये की एफडी करवाई। उसको पता चला कि बैंक के कुछ कर्मियों ने एफडी तुड़वाकर पैसे का गबन

ईएसआइसी ने बल्ल कलां इंडस्ट्री को नई योजना की दी जानकारी

संवाद सहयोगी, जागरण• अमृतसर : गुरुनगरी में जिन इंडस्ट्री संचालकों ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में पंजीकरण नहीं करवाया है, वे नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ईएसआईसी ने संगठित और ठेका कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए एसपीआरईई योजना लागू की है। यह योजना एक जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। ईएसआईसी के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार यादव ने इस योजना की जानकारी दी, जिसमें सामाजिक सुरक्षा अधिकारी असीम चावला भी उपस्थित थे।

बल्ल कला इंडस्ट्री के पदाधिकारियों से वार्ता करते हुए अधिकारी• जागरण

अभी भी बड़ी संख्या में कारोबारी प्रतिष्ठान ईएसआईसी में पंजीकरण नहीं करवाते हैं, जिससे उनके कर्मचारी बीमा के लाभ से वंचित रह जाते हैं। नई योजना के तहत संगठित ठेका और अस्थाई कर्मचारियों को बिना किसी पिछली देनदारी या जांच के रजिस्ट्रेशन का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईएसआईसी के तहत पंजीकृत करना है, ताकि उन्हें स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।

योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बीते समय में पंजीकरण नहीं कराने का कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा। सरकार की यह पहल समावेशी सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नियोक्ता अपने संस्थान और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और एमसीए पोर्टल के माध्यम से आनलाइन कर सकेंगे।

बल्ल कला संगठन के प्रधान संदीप खोसला ने कहा कि वे सभी सदस्यों को इस योजना के बारे में जागरूक करेंगे।

देश की सीमाओं के प्रहरियों के लिए छा

दैनिक जागरण भारत रक्षा पर्व

संवाद सहयोगी, जागरण • अमृतसर : देश के सैनिकों को समर्पित दैनिक जागरण का विशेष अभियान 'भारत रक्षा पर्व' के तहत मातृ भूमि की रक्षा में तैनात रक्षा प्रहरियों की

भारत रक्षा पर्व के तहत सीमा प्रहरियों के लिए तैयार की गई राखियों के साथ सेंट पीटर कान्वेंट स्कूल के विद्यार्थी। साथ है प्रिंसिपल डा. पूजा प्रभाकर व स्टाफ सदस्य• जागरण

दैनिक सवेरा टाइम्स
अंधेरे से उजाले की ओर...

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिकारियों ने बल्लकलां के उद्योगपतियों को नई योजना एस.पी.आर.ई.ई. की जानकारी देकर बताए उसके लाभ

सवेरा न्यूज/गर्ग

अमृतसर, 26 जुलाई: कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों ने बल्ल कलां इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी को नई योजना की जानकारी दी। उक्त बीमा निगम ने संगठित और ठेका कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए एस.पी.आर.ई.ई. योजना लागू की है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू है। ई.एस.आई.सी. के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार यादव ने नई स्कीम की जानकारी दी है। उनके साथ सामाजिक सुरक्षा ऑफिसर असीम चावला भी थे। उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में कारोबारी प्रतिष्ठान खुद को ईएसआईसी में पंजीकृत नहीं करते हैं, जिससे उनके कर्मचारी बीमा के लाभ से वंचित हो जाते हैं। नई योजना के तहत संगठित ठेका और अस्थाई

बैठक में उपस्थित अधिकारी तथा बल्लकलां इंडस्ट्रीयल वैल्फेयर एसो. के प्रधान संदीप खोसला, जे.पी. सिंह व अन्य।

कर्मचारियों को बिना किसी पिछली देनदारी या जांच के रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। इस योजना का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा नियोक्ता और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत पंजीकृत हो और उन्हें स्वस्थ और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा लाभ पिछली अवधि के लिए कोई देनदारी नहीं देनी होगी। बीते वक्त में पंजीकरण नहीं कराया तो इसका कोई हिसाब विभाग नहीं मांगेगा। पिछली अवधि के लिए कोई देनदारी नहीं देनी होगी। योजना के तहत रजिस्ट्रेशन से पहले की अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, उस अवधि के लिए कोई जांच या बकाया की मांग भी नहीं की जाएगी। इससे नियुक्ताओं को पुराने रिकॉर्ड को लेकर डर नहीं रहेगा और वह स्वेच्छा से पंजीकरण कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि अभी तक अगर कोई नियोक्ता तय समय में पंजीकरण नहीं करता था, तो उसे पर कानूनी कार्रवाई और पिछली देनदारी की मांग की जाती थी। इस वजह से कई संस्थान और कर्मचारी इसी के दायरे से बाहर रह जाते थे। सरकार की सामाजिक सुरक्षा को सभी तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम पहल है। इससे खासकर ठेका और अस्थाई कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत स्वास्थ्य और अन्य लाभ मिल सकेंगे। नियोक्ता अपने संस्थान और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और एमसीए पोर्टल के जरिए ऑनलाइन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की वैधता उसी तारीख से मानी जाएगी, जो नियोक्ता द्वारा घोषित की जाएगी।

बल्लकलां इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसो. के प्रधान संदीप खोसला ने कहा कि सरकार की नई योजना के बारे में सभी सदस्यों को जागृत करेंगे। यह सामाजिक आर्थिक तरक्की में महत्वपूर्ण जानकारी है। इस मौके पर डॉक्टर जे.पी. सिंह, निदेशक, श्री धन्वंतरि हर्बल, सचिन निदेशक, स्वदेशी टेक्सटाइल मिल एवं एडवोकेट रजत जोशी आदि भी शामिल रहे। बैठक में नियोक्ताओं द्वारा एक ईएसआई डिस्पेंसरी फोकल प्वाइंट में भी खोलने का अनुरोध किया गया और ईएसआई अस्पताल अमृतसर जो कि राज्य के पास है उसे ईएसआई कॉरपोरेशन के अंतर्गत शिफ्ट करने का भी अनुरोध किया गया।

अमृतसर भास्कर 27-07-2025

राज्य बीमा निगम के अफसरों ने बल कलां इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को योजना बारे दी जानकारी

एसपीआरईई योजना : 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन पर देनदारी माफ

भास्कर न्यूज़ | अमृतसर

राज्य कर्मचारी बीमा निगम ने (ईएसआईसी) ने एसपीआरईई योजना शुरू कर इंडस्ट्री संचालकों को 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। योजना के तहत इस अवधि तक रजिस्ट्रेशन कराने पर पिछले साल की देनदारी का कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। राज्य बीमा निगम के अफसरों ने बल कलां इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को योजना के बारे विस्तार से जानकारी दी। ज्वाइंट डायरेक्टर सुनील कुमार यादव ने बताया कि बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियों ने ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जिस वजह से बीमा लाभ से वंचित हो जाते हैं। यह योजना 1 जुलाई से शुरू की गई है। नई योजना के तहत संगठित ठेका व अस्थाई कर्मचारियों को पिछले साल के बिना किसी देनदारी व जांच के यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाकर स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाया जा सके। नियोक्ताओं को पुराने रिकार्ड को लेकर किसी तरह का डर नहीं रहेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन से पहले की अवधि के लिए कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के लागू होने से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई के अलावा पिछली देनदारी की मांग की जाती थी। जिससे कई संस्थान दायरे से बाहर हो जाते थे। बल कलां इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान संदीप खोसला ने कहा कि सरकार की इस नई योजना के बारे कारोबारियों व श्रमिकों को भी जागरूक करेंगे। ईएसआई डिस्पेंसरी फोकल प्वाइंट में खोलने की डिमांड रखी गई। ताकि अधिक से अधिक कारोबारी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लाभ उठा सकें। इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा अफसर असीम चावला, एडवोकेट रजत जोशी, डॉ. जेपी सिंह, सचिन आदि मौजूद रहे।

ईएसआईसी के ज्वाइंट डायरेक्टर सुनील यादव बल कलां इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को योजना के बारे जानकारी देते हुए।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

ज्वाइंट डायरेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि नियोक्ता अपने संस्थान व कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल, एमसीए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। रजिस्ट्रेशन कराने की वैधता उसी तारीख से मानी जाएगी जो नियोक्ता द्वारा घोषित की जाएगी। इस योजना का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा नियोक्ता और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत पंजीकृत हो और उन्हें स्वस्थ और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।

एसपीआरईई 2025 योजना का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, अमृतसर : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए सैलरीड पर्सन रीइंबर्समेंट आफ इंप्लाई एक्सपेंसेस (एसपीआरईई) 2025 स्कीम लांच की है। इसका मकसद कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित नियोक्ता व कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देना है। उक्त योजना 2025 ईएसआइ अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और अपंजीकृत नियोक्ताओं और संविदा के साथ ही अस्थाई सहित कर्मचारियों को निरीक्षण या पिछले बकाये की बाध्यता के बिना नामांकन करने का एक बार का अवसर प्रदान करती है।

शाखा प्रबंधक कर्मचारी राज्य बीमा निगम सुरजीत सिंह • सौ. स्वयं

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अमृतसर शाखा प्रबंधक सुरजीत सिंह ने बताया कि उक्त योजना में पंजीकरण, नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा।

पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पिछले रिकार्ड की मांग नहीं की जाएगी। यह योजना पूर्वव्यापी दंड के डर को दूर करके और पंजीकरण क्रिया को आसान बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है।

epaper.uttamhindu.com uttamhindutv dailyuttamhindu@gmail.co
dailyuttamhindutv dailyuttamhindu @dailyuttamhindu

एक नजर

एसपीआरआरईई 2025 योजना को मंजूरी

बटाला/अमरजीत : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एसपीआरआरईई 2025 योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इस अवधि में नियोक्ता और कर्मचारी बिना किसी पिछली देनदारी या जांच के ईएसआईसी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की तिथि से ही योजनाएं लागू होंगी और पिछली अवधि के लिए कोई बकाया या लाभ लागू नहीं होगा। योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक संविदा व अस्थायी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। यह कदम ईएसआईसी द्वारा श्रमिकों के लिए समावेशी और सुलभ सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

शिक्षा अधिकारी ने सरकारी स्कूल सियाली कुलिया का किया दौरा

पठानकोट/अजय सैनी : पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी की ओर से रोजाना स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है। इसी संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी राजेश कुमार की ओर से सरकारी हाई स्कूल सियाली कुलिया का निरीक्षण किया गया। सुबह 8:00 बजे वह स्कूल की प्रार्थना सभा में शामिल हुए। प्रार्थना सभा के दौरान उन्होंने स्कूल के विद्यार्थियों को जीवन में सफल होने के लिए बेहतरीन टिप्स दिए। इस अवसर पर स्कूल की इंचार्ज परमजीत कौर, हरसिमरनजीत सिंह, रजनी गुप्ता, कमलजीत कौर, सीमा देवी, पंकज शर्मा, संजीव भार्गव, मंजू, गीता, सोनिया शर्मा, रीना देवी, निशा शर्मा, पूनम शर्मा, अमन पुरी, सुभाष कुमार उपस्थित थे।

एएसआई ने मालिक को लौटाया पर्स

पहुवि

दर्दनाक ह

मृतक पिता पुत्र की

उत्तम हिन्द

मिखीविंड/रि
रात करीब 8 ब
अंतर्गत आते ग
सड़क पर उस
मच गई, जब
कार सवार व्यि
रहे लोगों को कु
में तेज रफ्तार
स्कूटी को ज
जिससे उस प
की मौके पर
पहचान दिल
गुरदयाल सिंह

डर
रही प

उत्तम

www.jagran.com

ईएसआइसी ने शुरू की नई योजना 'एसपीआरईई 2025'

जागरण संवाददाता, जालंधर : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना एसपीआरईई 2025 को मंजूरी दी है। यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित 196वीं ईएसआई निगम बैठक के दौरान की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने की। बैठक में योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यह पहल एक जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके तहत अस्थायी कर्मचारियों को बिना निरीक्षण और बिना पिछले बकाया की बाध्यता के एकमुश्त नामांकन का अवसर मिलेगा।

डा. मांडविया ने कहा कि यह योजना स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगी और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर नियोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। इसके साथ ही पूर्वव्यापी दंडात्मक कार्रवाई से भी राहत दी गई है, जिससे अधिकाधिक नियोक्ता और कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तार देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए व्यापक प्रबंध और जागरूकता अभियान शुरू किए जाएंगे। एसपीआरईई 2025 के माध्यम से सरकार का उद्देश्य संगठित और अर्ध-संगठित क्षेत्र के अधिकाधिक कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा के अंतर्गत लाकर उन्हें स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

ईएसआईसी की 6 माह के लिए लागू योजना का लाभ उठाने हेतु आगे आए : ब्रांच मैनेजर बलवंत सिंह

सवेरा न्यूज/कुलदीप सैनी

होशियारपुर, 7 जुलाईः कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की तरफ से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 196वीं निगम बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर केन्द्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नई योजनाएं लागू की। इस बैठक में होशियारपुर से ईएसआईसी के ब्रांच मैनेजर बलवंत सिंह ने भाग लिया। बैठक से लौटने उपरांत उन्होंने बताया कि ईएसआईसी के तहत पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की गई है। 6 माह के लिए लागू इस योजना के तहत 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक अपंजीकृत कर्मियों, संविदा व अस्थायी सहित सभी कर्मियों को निरीक्षण या पिछले बकाये की बाध्यता के बिना नामांकन करने का एक बार का अवसर प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी मालिक अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण, नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी। यह योजना पूर्वव्यापी दंड के डर को दूर करके और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है। श्री सिंह ने बताया कि एसपीआरईई से पहले, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी और पिछली तिथि से बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। एसपीआरईई 2025 इन बाधाओं को दूर करता है। इसका उद्देश्य छूटे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को ईएसआई के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने अपील की कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

बाबा लाल दयाल दरबार में करवाई श्रीमद् भागवत कथा

सवेरा न्यूज/ सुमेश गुल्लू

दातारपुर, 7 जुलाई : बता दे की बाबा लाल दयाल दरबार दातारपुर में श्रीमद् भागवत कथा बड़ी श्रद्धा और धूम धाम से महंत रमेश दास शास्त्री जी की अध्यक्षता में करवाई जा रही है इसमें हल्का दसूहा के विधायक

ई.एस.आई.सी. 31 दिसंबर तक नए उपक्रमों व कर्मियों का करेगी पंजीकरण : बलवंत सिंह

शिमला में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते केंद्रीय मंत्री डा. मनसुख मांडविया व अन्य शख्सियतें। (जैन)

होशियारपुर, 8 जुलाई (जैन): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) की तरफ से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 196वीं निगम बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर केन्द्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नई योजनाएं लागू की।

बैठक में होशियारपुर से ई.एस.आई.सी. के ब्रांच मैनेजर बलवंत सिंह ने भाग लिया। बैठक से लौटने उपरांत उन्होंने बताया कि ई.एस.आई.सी. के तहत पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की गई है। 6 माह के लिए लागू इस योजना के तहत 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक अपंजीकृत कर्मियों, संविदा व अस्थायी सहित सभी कर्मियों को निरीक्षण या पिछले बकाए की बाध्यता के बिना नामांकन करने का एक बार का अवसर प्रदान किया गया है।

उन्होंने बताया कि कंपनी मालिक अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ई.एस.आई.सी. पोर्टल, श्रम सुविधा और एम.सी.ए. पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण, नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी। यह योजना पूर्वव्यापी दंड के डर को दूर करके और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है।

सिंह ने बताया कि एस.पी.आर.ई.ई. से पहले, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी और पिछली तिथि से बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। एस.पी.आर.ई.ई. 2025 इन बाधाओं को दूर करता है।

इसका उद्देश्य छूटे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को ई.एस.आई. के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने अपील की कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

दैनिक भास्कर
जालंधर भास्कर 10-07-2025

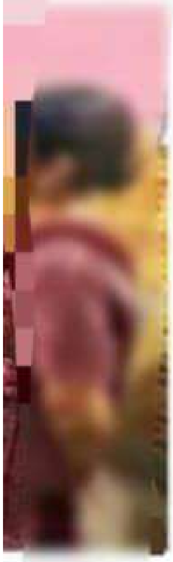

ईएसआईसी ने शुरू की एसपीआरईई योजना

जालंधर| ईएसआईसी ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की एसपीआरईई 2025 योजना की शुरुआत की है। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। ईएसआईसी के जालंधर स्थित उपक्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार यादव ने बताया कि यह योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों (संविदा और अस्थायी कर्मचारी समेत) को निरीक्षण या पिछले बकाए की मांग न करते हुए नामांकन का एक बार अवसर देगी। नियोक्ता अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा। पूर्व-पंजीकरण अवधि के दौरान कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी।

Jalandhar Kesari
Jul 13, 2025

पंजाब केसरी

ई.एस.आई. ने कर्मचारियों के पंजीकरण करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया

प्राइवेट संस्थानों के छूटे हुए श्रमिकों को ई.एस.आई. के दायरे में लाएंगे : सुनील कुमार यादव

जालंधर, 12 जुलाई (शौरी): ई.एस.आई.सी ने कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें 1 से 31 दिसंबर तक गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी पंजीकरण करवा सकते हैं। इस संबंध में ई.एस.आई., उप क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार यादव ने बताया कि यह योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अनुबंध और अस्थायी कर्मचारियों सहित पिछले बकाए की मांग या निरीक्षण का सामना किए बिना नामांकन करने का एकमुश्त अवसर प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि नियोक्ता ई.एस.आई.सी. पोर्टल, ई.एम.आई. सुविधा और एम.सी.ए. पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम छूटे हुए प्राइवेट संस्थानों के श्रमिकों को ई.एस.आई. के दायरे में लाकर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि ई.एस.आई. में कमचारियों के दावों का निपटारा भी समयबद्ध किया जा रहा है।

ई.एस.आई.सी. ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (स्प्री) 2025 शुरू की

जालन्धर, 9 जुलाई (चन्दीप भल्ला): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक बनाने के लिए स्प्री 2025 की शुरुआत की है, जो 1 जुलाई से 31 दिसम्बर, 2025 तक प्रभारी रहेगी। ई.एस.आई., उप-क्षेत्रीय कार्यालय जालन्धर के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार यादव ने बताया कि इस योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं व कर्मचारियों, जिनमें संविदा व अस्थाई कर्मचारी भी शामिल हैं, को निरीक्षण या पिछले बकाये की मांग का सामना किए बिना नामांकन का एक बार अवसर प्रदान करेगी। नियोक्ता अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ई.एस.आई.सी. पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा। पूर्व पंजीकरण अवधि के दौरान कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी। यह योजना पूर्वव्यापी दंड के डर को दूर करके और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है। स्प्री से पहले, निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पंजीकरण न करवाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी और पिछली तिथि से बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। स्प्री 2025 इन बाधाओं को दूर करता है, जिसका उद्देश्य छुटे हुए प्रतिष्ठानों व श्रमिकों को ईएसआई के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर और पूर्वव्यापी देनदानियों से प्रतिरक्षा प्रदान कर, यह योजना न केवल नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि अधिक से अधिक श्रमिक, विशेष रूप से संविदा क्षेत्रों में काम करने वाले, ईएसआई अधिनियम के तहत आवश्यक स्वास्थ्य व सामाजिक लाभों तक पहुंच प्राप्त करें।

ईएसआइसी ने शुरू की नई योजना 'एसपीआरईई 2025'

जागरण संवाददाता, जालंधर : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना एसपीआरईई 2025 को मंजूरी दी है। यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित 196वीं ईएसआई निगम बैठक के दौरान की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने की। बैठक में योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यह पहल एक जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके तहत अस्थायी कर्मचारियों को बिना निरीक्षण और बिना पिछले बकाया की बाध्यता के एकमुश्त नामांकन का अवसर मिलेगा।

डा. मांडविया ने कहा कि यह योजना स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगी और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर नियोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। इसके साथ ही पूर्वव्यापी दंडात्मक कार्रवाई से भी राहत दी गई है, जिससे अधिकाधिक नियोक्ता और कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तार देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए व्यापक प्रबंध और जागरूकता अभियान शुरू किए जाएंगे। एसपीआरईई 2025 के माध्यम से सरकार का उद्देश्य संगठित और अर्ध-संगठित क्षेत्र के अधिकाधिक कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा के अंतर्गत लाकर उन्हें स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

वर्ष - 11 अंक - 256
कुल पृष्ठ 4 मूल्य -2 रु.
लुधियाना
10, जुलाई, 2025

निर्भीक एवं निष्पक्ष
जागृति लहर
JAGRATI LAHAR
ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਲਹਿਰ
शहीद बाबू लाभ सिंह एवं शहीद नरिंदर नाथ खन्ना को समर्पित समाचार पत्र
मुख्य संपादक : गौतम जालंधरी ● www.jagratilahar.com ● Email : jagratilahar@gmail.com ● RNI No. PUNBIL/2014/59855
YouTube youtube/c/jagratilehar www.facebook.com/jagratilehar 81462-00161, 98154-82954

BRAINBUNNY
International Preschool & Daycare
ADMISSION OPEN for 2024-2025

ईएसआई ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना स्प्री 2025 शुरू की

जालंधर/शिमला, 9 जुलाई (जागृति लहर ब्यूरो)। कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC) ने सामजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक बनाने के लिए स्प्री 2025 (SPREE 2025) की शुरुआत की है। जो कि 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगी। ईएसआई, उप क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार यादव ने बताया कि यह योजना अंपजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों- जिनमें संविदा और अस्थायी कर्मचारी शामिल है, को निरीक्षण या पिछले बकाये की मांग का सामना किए बिना नामांकन का एक बार अवसर प्रदान करेगी। नियोक्ता अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते है। पंजीकृत नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि को वैद्य माना जाएगा। पंजीकरण के पहले की अवधि के लिए योगदान या लाभ लागू नहीं होगा। पूर्व पंजीकरण अवधि के दौरान कोई निरीक्षण या पिछले रिकार्ड की मांग नहीं की जाएगी। यह योजना पूर्वव्यापी दंड के डर को दूर करने और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है। स्प्री से पहले, निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी और पिछली तिथि से बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। स्प्री 2025 इन बाधाओं को दूर करता है, जिसका उद्देश्य छूटे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को ईएसआई के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर और पूर्वव्यापी देनदारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करके, यह योजना न केवल नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को नियमित करने को प्रोत्साहित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि अधिक से अधिक श्रमिक, विशेष रूप से संविदा क्षेत्रों में काम करने वाले, ईएसआई अधिनियम के तहत आवश्यक स्वास्थ्य और सामाजिक लाभों तक पहुंच प्राप्त करें।